न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 254/2024
अनवान : –

1. रामनारायण पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. अमीलाल पुत्र फुलचन्द उर्फ फुलाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
2. लिछमा पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
3. विमला पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
4. चन्द्रावली पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
5. ज्याना पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
6. गोमती पत्नी फुलाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 25/02/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की 6.7660 हैक्ट भूमि में सायल व गैरसायल स0 1 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि तथा फुलचन्द उर्फ फुलाराम के नाम 1/3 हिस्सा भूमि व खाता स0 40/36 की कुल 20.1830 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल स0 1 व फुलचन्द उर्फ फुलाराम के नाम बहि दर्ज है।

फुलचन्द उर्फ फुलाराम के नाम उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। फुलचन्द उर्फ फुलाराम का देहान्त हो चुका है। फुलचन्द उर्फ फुलाराम के जायज वारिसान सायल व गैरसायल स0 1 ता 6 है। मनफुल उर्फ फुलाराम ने अपने जीवनकाल में न्यायालय हाजा में एक वाद अनवानी रामनारायण बनाम फुलचन्द पेश किया था जो की दिनांक 14.06.2018 को लोक अदालत में निर्णित हुआ है उक्त वाद में गैरसाल स0 2 ता 6 ने इकबाल राजीनामा लिखकर अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर दिया था। अतः गैरसायल स0 2 ता 6 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। गैरसायल स0 1 तेज तर्रार व्यक्ति है जो की राजस्व रिकार्ड में बहिनो का नाम दर्ज करवाकर भूमि को रहन, बैय करना चाहता है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता स0 39/35 की 6.7660 हैक्ट भूमि व खाता स0 40/36 की कुल 20.1830 हैक्ट की अंतरिम अस्थाई निषेधााज्ञ विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण मनफुल उर्फ फुलाराम के नाम दर्ज भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:30:34 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि पैतृक है जिसमें सभी वारिसान का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हक हिस्सा है फुलचन्द की मृत्यु के बाद गैरसायल स0 2 ता 6 का भी हक हिस्सा है गैरसायलान ने फुलचन्द के जीवनकाल में अपना हक हिस्सा छोड़ा था अब फुलचन्द के देहान्त के बाद गैरसायलान का भी हक हिस्सा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि मनफुल उर्फ फुलाराम ने अपने जीवनकाल में न्यायालय हाजा में एक वाद अनवानी रामनारायण बनाम फुलचन्द पेश किया था जो की दिनांक 14.06.2018 को लोक अदालत में निर्णित हुआ है उक्त वाद में गैरसाल स0 2 ता 6 ने इकबाल राजीनामा लिखकर अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर दिया था लेकिन अप्रार्थी का कथन है कि गैरसायलान द्वारा अपने हक हिस्सा का त्याग अपने पिता फुलाराम के जीवनकाल में ही किया गया था। अब फुलाराम का देहान्त हो चुका है इसलिए फुलाराम के नाम दर्ज भूमि में सायल व गैरसायलान का हक हिस्सा है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में क्योकि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुलाराम उर्फ फुलचन्द के नाम दर्ज है व फुलाराम उर्फ फुलचन्द का देहान्त हो चुका है तथा फुलाराम उर्फ फुलचन्द के जायज वारिसान सायल व गैरसायलान है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 14.10.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/02/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 10:30:34 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर